न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 28/2022 जिला सीकर

1. बलवीर पुत्र श्री मोटा दत्तक पुत्र भागीरथ जाट, जाति जाट निवासी ग्राम चन्देली का बास, सिहोड बडी, तहसील धोद जिला सीकर। (राजस्थान)

–अपीलान्ट

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी, धोद तहसील धोद जिला सीकर। (राजस्थान)
2. तहसीलदार, धोद, तहसील धोद, जिला–सीकर। (राजस्थान)

–रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आज्ञा उपखण्ड अधिकारी, धोद तहसील धोद जिला सीकर दिनांक 10.11.2021, मु.नंबर/क्रमांक/प्र.शा.ग्रा.कैम्प/2021/716 स्थित ग्राम सिहोड बडी कैम्प, तहसील धोद जिला सीकर, जिसके द्वारा राजस्व रिकार्ड में अवैध क्षेत्राधिकार–विहिन रूप से बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही भूमि राजस्व रिकार्ड एवं नक्शे में गै0मु0 रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित किया गया है।

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री हेमन्त दीक्षित
2. रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 2 श्री चन्दशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक –08.06.2022

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी धोद, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 10.11.2021 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 18.02.2022 को प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि :–

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

तहसीलदार धोद, जिला सीकर ने राजस्व ग्राम चन्देली का बास, पटवार मण्डल सिहोड बडी, तहसील धोद जिला सीकर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 753, 754, 755, 756, 538 में से प्रस्तावित रकबा गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने बाबत प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस के उपखण्ड अधिकारी धोद को भिजवाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सीकर, जिला सीकर ने "राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 व दिनांक 30.09.2021 की पालना में तहसीलदार धोद के दिनांक 10.11.2021 के द्वारा आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु प्रस्ताव मय नक्शा प्राप्त हुआ। दिये गये निर्देश की पालना में एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 86 के प्रावधानों के अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में दर्ज खातेदारान की खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ता को गै.मु. रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने को आदेश दिये गये।

उप खण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर के उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.11.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय उप खण्ड अधिकारी सीकर जिला सीकर दिनांक 10.11.2021 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई ।

Scanned by CamScanner

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलवी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि राजस्व ग्राम सिहोड बडी तहसील धोद जिला सीकर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 756 का काबिज खातेदार है तथा विद्वान एस.डी.ओ. ने अपीलान्ट को बिना कोई नोटिस एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही एक पक्षीय रूप से राजस्व रिकार्ड एवं नक्शे में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने का जो एक पक्षीय रूप से आदेश पारित किया है, वह पूर्णतया एक पक्षीय, क्षेत्राधिकार–विहिन एवं न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। नया रास्ता दर्ज करने का धारा–251 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में तहसीलदार को एवं धारा 251(ए) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में एस.डी.ओ. को अधिकार केवल सभी खातेदारों को सुनवाई का मौका देकर उचित शुल्क जमा करने पर ही अधिकार प्राप्त है। अपीलांट विवादित कृषि भूमि खसरा नंबर 756 स्थित ग्राम सिहोड बडी तहसील धोद जिला सीकर का काबिज रिकार्डेड खातेदार–काश्तकार है तथा उसका कृषि भूमि पर संपूर्ण रूप से खातेदारी अधिकार एवं कब्जा काश्त राजस्व रिकार्ड जमाबंदी एवं खसरा गिरदावरी से साबित है तथा किसी भी कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार 131, 132 भू–राजस्व अधिनियम एवं लैण्ड रेवेन्यू रिकार्ड रूल्स, 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 व 86 के अन्तर्गत किसी खातेदार काविज रिकॉर्डेड काश्तकार की भूमि से राजस्व रिकार्ड तथा मौके पर गैर मुमकिन रास्ता दर्ज नहीं कर सकती है। प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 में कतई राज्य सरकार द्वारा यह आदेश पारित नहीं किये गये है कि खातेदार काविज काश्तकार को बिना कोई नोटिस जारी किये ही तथा बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही एक पक्षीय रूप से कोई कदीमी रूप से चालू व स्थाई या कच्चा रास्ता चालू नहीं होते हुये भी राजस्व रिकार्ड एवं नजरी नक्शे में खातेदार काविज व्यक्ति की कृषि भूमि में से गै0मु0 रास्ता दर्ज कर दिया जावे, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस पहलू पर कोई विचार न कर निर्णय देने में सरासर कानूनी भूल की है। ऐसी स्थिति में भी निर्णय योग्य अधिनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ एवं विधि विरुद्ध होने से अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.11.2021 को निरस्त किया जावे ।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

रेस्पोडेन्ट के राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि तहसीलदार धोद, जिला सीकर ने राजस्व ग्राम चन्देली का बास, पटवार मण्डल सिहोड बडी, तहसील धोद जिला सीकर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 753, 754, 755, 756, 538 में से प्रस्तावित रकबा गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने बाबत प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस के उपखण्ड अधिकारी धोद को भिजवाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी धोद, जिला सीकर ने "राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 व दिनांक 30.09.2021 की पालना में तहसीलदार धोद के दिनांक 10.11.2021 के द्वारा आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु प्रस्ताव मय नक्शा प्राप्त हुआ। दिये गये निर्देश की पालना में एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 86 के प्रावधानों के अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में दर्ज खातेदारान की खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ता को गै.मु. रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने को आदेश दिये गये। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा निर्णय दिनांक 10.11.2021 के तहत फसल रास्ता, पूर्व से ही मौके पर विद्यमान था। रास्ता के ऐसे प्रकरणों के निस्तारण हेतु निर्धारित प्रारूप में विधिक प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए जिसमें तहसीलदार द्वारा प्रश्नगत रास्ता को बारहमासी तथा मौसम/ऋतुओं के अनुसार नहीं बदलने, आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध तथा सुचारु रूप से आवागमन होना करते हुए, राजस्व अभिलेख के स्थाई रूप से अंकन की अभिशंषा की गई है। अपीलार्थी के खेत नं. 756 में जिस खसरा से रास्ता फैसल हुआ है, उसमें रास्ता के रकबा को अपीलार्थी की खातेदारी से पृथक नहीं किया गया है, केवल मौका स्थितिनुसार रास्ता का अंकन (तरमीम) होकर किस्म गै.मु. रास्ता

Scanned by CamScanner

दर्ज हुई है। फैसल रास्ता कई खसरा नम्बरान से गुजर रहा है, आम रास्ता है, शिविरों के दौरान ऐसे प्रकरणों में शासन द्वारा नोटिस जारी किये जाने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। उनका कहना है कि मौके पर प्रचलित रास्ता होने पर आम जन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मौका देखकर रास्ते के प्रस्ताव दिये गये थे, जो नियमानुसार स्वीकार कर रिकार्ड में दर्ज करने का निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अपीलान्ट द्वारा अपील ईजाजत प्रस्तुत करने हेतु प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. पेश नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे ।

हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा । प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व तहसीलदार धोद, जिला सीकर ने राजस्व ग्राम चन्देली का बास, पटवार मण्डल सिहोड बडी, तहसील धोद जिला सीकर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 753, 754, 755, 756, 538 में से प्रस्तावित रकबा गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने बाबत प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस के उपखण्ड अधिकारी धोद को भिजवाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी धोद, जिला सीकर ने "राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 व दिनांक 30.09.2021 की पालना में तहसीलदार धोद के दिनांक 10.11.2021 के द्वारा आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु प्रस्ताव मय नक्शा प्राप्त हुआ। दिये गये निर्देश की पालना में एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 86 के प्रावधानों के अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में दर्ज खातेदारान की खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ता को गै.मु. रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने को आदेश दिये गये। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद द्वारा निर्णय दिनांक 10.11.2021 के तहत फसल रास्ता, पूर्व से ही मौके पर विद्यमान था। तहसीलदार द्वारा प्रश्नगत रास्ता को बारहमासी तथा मौसम/ऋतुओं के अनुसार नहीं बदलने, आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध तथा सुचारू रूप से आवागमन होना करते हुए, राजस्व अभिलेख के स्थाई रूप से अंकन की अभिशंषा की गई है। अपीलार्थी के खेत नं. 756 में जिस खसरा से रास्ता फैसल हुआ है, उसमें रास्ता के रकबा को अपीलार्थी की खातेदारी से पृथक नहीं किया गया है, केवल मौका स्थितिनुसार रास्ता का अंकन (तरमीम) होकर किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज हुई है। फैसल रास्ता कई खसरा नम्बरान से गुजर रहा है। मौके पर प्रचलित रास्ता होने पर आम जन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मौका देखकर रास्ते के प्रस्ताव दिये गये थे जो नियमानुसार स्वीकार कर रिकार्ड में दर्ज करने का निर्णय पारित किया गया है जो विधि अनुसार है। अपीलाधीन आदेश तहसीलदार, पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्मत है। अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं था। अतः अपील के साथ धारा 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र पेश करना चाहिए था, जो अपीलांट द्वारा पेश नहीं किया गया है। इसलिए अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी धोद, जिला सीकर दिनांक 10.11.2021 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ. गिरीश पाराशर)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

Scanned by CamScanner